**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil First Appeal No. 499/2023

Tejendra Singh S/o Shri Teerath Singh,

----Appellant

Versus

Narendra Singh S/o Late Shri Harnam Singh,

----Respondent

Connected With

S.B. Civil First Appeal No. 633/2023

Tejendra Singh Bindra Son Of Shri Teerath Singh

----Appellant

Versus

Narendra Singh Son Of Late Shri Harnam Singh

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Appellant(s) | : | Mr. Vikas Jain |
| For Respondent(s) | : | Mr. Ramesh Chandra Kumawat<br>Mr. Gajendra Singh Rathore |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI**

**Order**

**08/05/2025**

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उक्त दोनों अपीलों में दो पृथक–पृथक प्रार्थनापत्र आई.ए–1/2024, अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0, प्रत्यर्थी संख्या–2 तीर्थ सिंह, जिनका देहान्त दिनांक 27.01.2024 को होना बताया गया है, के विधिक वारिसान को अभिलेख पर लेने के संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं।

सुना गया।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि अपील लंबित रहने के दौरान प्रकरण के प्रत्यर्थी संख्या–2 तीर्थ सिंह पुत्र स्व0 श्री हरनाम सिंह का देहान्त दिनांक 27.01.2024 को हो गया है, अतः प्रार्थनापत्र में वर्णित उनके विधिक वारिसान को अभिलेख पर लिया जावे।

प्रार्थनापत्रों में अंकित तथ्यों एवं कारणों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाकर प्रार्थना पत्रों में वर्णित अनुसार प्रत्यर्थी संख्या–2 तीर्थ सिंह के विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लिए जाने का आदेश दिया जाता है।

संशोधित वाद शीर्षक पत्रावली में पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से योग्य अधिवक्ता श्री रमेशचन्द्र कुमावत उपस्थित हैं तथा प्रत्यर्थी संख्या–6 की ओर से योग्य अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ उपस्थित हैं। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या–6 के अधिवक्ता को इन अपीलों की प्रति उपलब्ध कराएं।

आदेश दिनांक 12.01.2024 के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या–3, 5 एवं 7 की तामील Dispanse with की जा चुकी है।

प्रत्यर्थी संख्या–2 के विधिक वारिसान को नोटिस साधारण एवं रजिस्टर्ड डाक दोनों माध्यम से जारी किए जावें।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही 7 दिवस में करें।

पत्रावली चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /77-78